B-34
L-30
I. Polity

लोक लेखा समिति

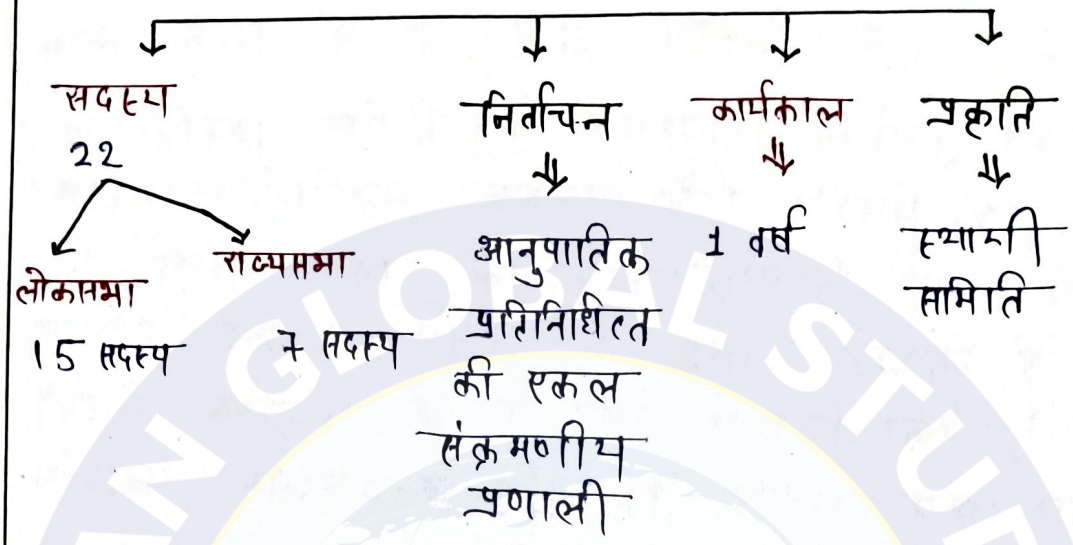

- लोकलेखा समिति का मूल कार्य यह निर्धारित करना है-

(i) मंत्रालयों के द्वारा किया गया खर्च उसी मद के लिए होना चाहिए जिसके लिए संसद ने अनुमति दी थी।

(ii) खर्च उचित होना चाहिए

(iii) खर्च को विधि के द्वारा ही अनुमति होनी चाहिए।

- लोकलेखा समिति की वित्तीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कार्यपालिका पर वित्तीय खर्च की निगरानी बनाए रखने हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक पद का निर्माण किया गया है जो कार्यपालिका के सम्बन्ध में खर्च की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform © KHAN SIR ©

इसे संसद के समक्ष रखवाता है और संसद इस रिपोर्ट की बारीक जांच के लिए इसे लोक लेखा समिति को सौंपती है।

- लोकलेखा समिति की सहायता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। जिससे CAG की रिपोर्ट को लोकलेखा समिति सरल और आसान बनाकर संसद के समक्ष रखती है जिसके कारण भारत में चाराघोटाला, यूरिया घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला उजागर हुआ था।

(नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक- CAG)

(i) नियंत्रक नही है।
(ii) भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए इसकी अनुमति आवश्यक नही है।

लेखापरीक्षक

संघ

राज्य

लेखांकन (Accounting)
↓
किस मद पर खर्च किया।
राज्य के लिए दोनो CAG कार्य करेगा।

लेखा परीक्षक (Auditing)
↓
खर्च उचित होना चाहिए
(i) संघ सरकार का केवल लेखा-परीक्षक करता है।

- लोक लेखा समिति की रिपोर्ट अथवा CAG की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती लेकिन CAG की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई।

- CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक है जिसका कार्य केवल लेखापरीक्षण करना ही नहीं है अपितु प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

वित्तीय विधेयक (Financial Bill)

- सामान्य विधेयक
- धन विधेयक / वित्त विधेयक

अनुच्छेद-117

(A)

(प्रावधान / विषयवस्तु)

(i) धन विधेयक का एक विषय (अनुच्छेद 110)

(ii) सामान्य विषय होगा जैसे - पर्यावरण आदि।

(धन विधेयक की प्रक्रिया)

(A) लोकसभा में प्रस्तुत किया जायेगा

(B) राष्ट्रपति की अनुशंसा, विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए

(सामान्य विधेयक की प्रक्रिया)

(A) विधेयक पर राज्यसभा की समान शक्ति होगी।

(B) राज्यसभा को विधेयक में संशोधन की समान शक्ति है।

(C) विधेयक पर संयुक्त बैठक होगी।

(D) राष्ट्रपति इसे संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी अनुच्छेद - 117

(B)

विधेयक के प्रावधान

(A) धन विधेयक का कोई विषय शामिल नही है।

(B) भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान

विधेयक की प्रक्रिया

सामान्य विधेयक

(i) विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) राज्यसभा को संशोधन का अधिकार है।

(iii) संयुक्त बैठक होगी।

(iv) राष्ट्रपति विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजेगा।

धन विधेयक के समीप

(A) विधेयक पर विचार के लिए राष्ट्रपति अनुशंसा करेगा

संसदीय शासन में स्पीकर की भूमिका:-

स्पीकर (Speaker)

संविधान

(i) लोकसभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलायेंगे

प्रोटेम स्पीकर

सांसदो को शपथ दिलाना

स्थायी स्पीकर का चयन

1 सांसद - प्रोटेम स्पीकर

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

स्पीकर सदैव सत्ताधारी दल का सदस्य होता है।

पदमुक्त

(i) लोकसभा के तत्कालीन सदस्य का बहुमत

(ii) कुल सदस्य (−) रिक्तियाँ

543 − 3 = 540

प्रभावी संख्या

(iii) 271 सदस्यों के द्वारा स्पीकर को हटाया जा सकता है)

• **एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर :**

(i) भारत में संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया जहाँ यह सिद्धांत अपनाया गया कि एक बार का स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर होगा जिसके निम्नलिखित अभिप्राय हैं-

(i) इंग्लैण्ड में होने वाले संसदीय चुनाव में स्पीकर के विरुद्ध कोई भी दल अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। अत: वह निर्विरोध निर्वाचित होगा।

(ii) सदन के भीतर भी स्पीकर का निर्वाचन निर्विरोध होगा।